(15)

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0ग्वालियर

समक्ष

एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्र0क0 2089–एक/2015 – विरूद्ध – आदेश दिनांक 30–6–2015 पारित व्दारा आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना – प्रकरण कमांक 13/2013–14 निगरानी

1– ऋषिकेश पुत्र खूबचन्द
2– हरीपाल उर्फ बनवारी पुत्र खूबचन्द
दोनों निवासी ग्राम सेमई
तहसील कैलारस, जिला मुरैना ---आवेदकगण

विरूद्ध

जगदीश सिंह पुत्र अजमेर सिंह सिकरवार
ग्राम साईपुरा संभई तहसील कैलारस
जिला मुरैना, मध्य प्रदेश ---अनावेदक

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री श्रीकृष्ण शर्मा)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री सुनील जादौन)

आ दे श

(आज दिनांक 1 मार्च, 2016 को पारित)

यह निगरानी आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के प्रकरण कमांक 13/2013–14 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 30–6–2015 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है नायव तहसीलदार कैलारस ने प्रकरण कमांक 45/2003–04 अ–19 में पारित आदेश दिनांक 24–9–2004 से आवेदकगण के हित में ग्राम सेमई स्थित भूमि सर्वे कमांक 1395 रकबा 2.05 हैक्टर में से 2 वीघा 10 विसवा का आबंटन किया। इस आदेश के विरूद्ध अनावेदक ने अनुविभागीय

अधिकारी सवलगढ़ के समक्ष अपील क्रमांक 13/2013-14 प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी कैलारस ने आदेश दिनांक 3-4-2014 से अपील समयवाह्य मानकर निरस्त कर दी। इस आदेश के विरूद्ध अनावेदक ने आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के समक्ष निगरानी क्रमांक 18/2013-14 प्रस्तुत की। आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना ने आदेश दिनांक 30-6-2015 से अनुविभागीय अधिकारी सवलगढ़ का आदेश दिनांक 28-2-2008 एंव 3-4-2014 निरस्त करते हुये प्रकरण कलेक्टर मुरैना की ओर नायव तहसीलदार का भूमि बंन्टन प्रकरण स्वमेव निगरानी में लिये जाने एंव दोनों पक्षों को सुने जाने हेतु प्रत्यावर्तित किया। आयुक्त, चम्बल संभाग मुरैना के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्कों पर विचार करने एंव आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना व्दारा निगरानी क्रमांक 18/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 30-6-2015 के अवलोकन से स्थिति यह है कि आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना ने आदेश दिनांक 30-6-15 से अनुविभागीय अधिकारी, सवलगढ़ के दो आदेश दिनांक 29-2-2008 तथा 3-4-2014 निरस्त किये हैं विचार योग्य है कि जब अनुविभागीय अधिकारी, सवलगढ़ के आदेश दिनांक 29-2-2008 के विरूद्ध आयुक्त के समक्ष अपील/निगरानी प्रस्तुत नहीं हुई एंव इस आदेश के विरूद्ध आयुक्त व्दारा स्वस्तर से स्वमेव पुनरीक्षण भी दर्ज नहीं किया है - आयुक्त व्दारा अनुविभागीय अधिकारी, सवलगढ़ के आदेश दिनांक 29-2-2008 को निरस्त करना बैधानिक प्रकिया पर आधारित न होने से आयुक्त का आदेश दिनांक 30.6.15 स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

5/ आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना ने प्रकरण कमांक 18/2013-14 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 30-6-2015 से अनुविभागीय अधिकारी, सवलगढ़ के आदेश दिनांक 3-4-2014 को निरस्त करने का आधार लिया है कि अनुविभागीय अधिकारी सवलगढ़ ने प्रश्नाधीन भूमि बन्टन के सम्बन्ध में पूर्व में प्रस्तुत अपील आदेश दिनांक 29.2.2008 से निरस्त की जा चुकी है तथा वर्तमान आवेदक व्दारा पुनः अपील निरस्त की गई है किन्तु इस तथ्य पर विचार नहीं किया कि नायव तहसीलदार कैलारस ने भूमि बंटन प्रकरण में भूमि बन्टन प्रकिया का विधिक रूप से पालन किया है अथवा नहीं ? आयुक्त का यह निष्कर्ष प्रकरण में आये तथ्यों की वास्तविकता के विपरीत है क्योंकि नायव तहसीलदार के बन्टन आदेश दिनांक 24.9.2004 के विरूद्व जब एक बार अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील होने पर आदेश दिनांक 29.2.2008 से अपील निरस्त हो चुकी है उसी न्यायालय में उसी विषय वस्तु पर , उसी आदेश के विरूद्व पुनः प्रस्तुत अपील ग्राह्य-योग्य नहीं रहती। अतः आयुक्त व्दारा इस सम्बन्ध में निकाला गया निष्कर्ष त्रृटिपूर्ण होने से उनके व्दारा पारित आदेश दिनांक 30-6-2015 स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

6/ आवेदकगण के अभिभाषक ने बताया है कि भूमि बन्टन में प्राप्त करने के वाद आवेदकों ने उसी भूमि में ट्यूव वैल लगाकर सिंचाई का साधन बनाया है तथा उबड़-खाबड़ भूमि को समतल करने एंव मेढ़ बंधान बनाने में काफी श्रम व धन व्यय किया है यदि आवेदकगण से भूमि वापिस ली गई, तो उन्हें परिवार के लालन-पालन में व्यवधान आ जावेगा। यदि इस तथ्य पर विचार करते हुये नायव तहसीलदार कैलारस के प्रकरण कमांक 45/2003-04 अ-19 में पारित आदेश दिनांक 24-9-2004 में नियम विरूद्व किये गये व्यवस्थापन पर ध्यान दिया जाय -

1984 राजस्व निर्णय 28 पैरा-4 का न्यायिक दृष्टांत है कि कुआ निर्माण और सब्जी उगाने योग्य भूमि बनाने में भूमि सुधार में हजारों रूपये खर्च कर दिये गये - ऐसी भूमि के बन्टन में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये। इसी प्रकार 2009 राजस्व निर्णय 251 इन्दर सिंह तथा अन्य विरूद्ध म0प्र0शासन का न्यायिक दृष्टांत है कि भूमि आवेदकगण को आबंटित की गई - सरकारी भूमि घोषित नहीं की जा सकती, क्योंकि सरकारी पदाधिकारियों व्दारा गल्तियॉ की गई हैं प्रशासनिक अधिकारियों व्दारा की गई त्रृटियों के कारण पात्र भूमिहीन आबंटितियों को आबंटन के लाभ से बंचित नहीं किया जा सकता और इन्हीं कारणों से आयुक्त चंबल संभाग, मुरैना व्दारा आदेश दिनांक आदेश दिनांक 30-6-2015 से लिया गया निर्णय उचित नहीं ठहराया जा सकता।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के प्रकरण कमांक 13/2013-14 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 30-6-2015 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है। परिणामतः अनुविभागीय अधिकारी, सवलगढ़ के आदेश दिनांक 29-2-2008 तथा 3-4-2014 तथा नायव तहसीलदार कैलारस द्वारा प्रकरण कमांक 45/2003-04 अ-19 में पारित आदेश दिनांक 24-9-2004 स्थिर रहने से ग्राम सेमई स्थित भूमि सर्वे कमांक 1395 रकबा 2.05 हैक्टर में से 2 वीघा 10 विसवा आवेदकगण के नाम पूर्ववत् दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर